



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 32 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 /

दिनांक 19 / 01 / 2016

सेवामें,

उप वन संरक्षक  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  
(उत्तरकाशी)।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत  
मैन्द्रथ-भंकवाड़ मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से बेगल 6.00 किमी0 के निर्माण हेतु 4.950 है0 वन  
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1531/12-1/पुरोला 03-12-2015 व वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून के पत्रांक 1392/12-1(1) दिनांक 27.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार  
निम्नलिखित है-

- 1 वन भूमि प्रस्ताव की हार्ड प्रति आपके कार्यालय में उपलब्ध करा दी गयी है।
- 2 वन भूमि प्रस्ताव अपलोड/सम्बन्धित प्रत्यावर्तन आनलाईन का दायित्व इस कार्यालय के पत्रांक  
संख्या 966/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0 दिनांक 21.11.2015 सौंपा गया है।
- 3 भाग-2 का प्रारूप पूर्व में पी0एम0जी0एस0वाई0 प्रस्ताव नगाणगांव-कुर्सिल नमूने के तौर में ही भरा  
गया है।
- 4 भाग-2 के सम्बन्धित सूचना आपके द्वारा भरी जानी है। जिसका प्रारूप आपको संलग्न किया जा  
रहा है।
- 5 ग्राम तलवाड में शून्य है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। तथा ग्राम बेगल में 0.450 है0 नापभूमि  
प्रभावित हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। ताकि वन भूमि  
प्रस्ताव शीघ्र ही स्वीकृत हो सके।

संलग्न :- उपरोक्त प्रस्ताव

अधिशासी अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0  
पुरोला (उत्तरकाशी)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- १६६ / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० /

दिनांक २१ / ११ / 2015

कार्यालय ज्ञाप

इस खण्ड में कार्यरत श्री सुमित जगूडी, कनिष्ठ अभियन्ता, को इस खण्ड से सम्बन्धित वनभूमि प्रस्ताव अपलोड / सम्बन्धित प्रत्यावर्तन ऑन लाईन किये जाने का दायित्व सौंपा जाता है।

अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड  
पुरोला

पत्रांक \_\_\_\_\_ / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / पुरोला / तदिनांक

प्रतिलिपि- श्री सुमित जगूडी, कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड  
पुरोला

## भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना का नाम-	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मैन्ड्रथ-भंकवाड़ के कि०मी० 3.00 से बेगल मोटर मार्ग (6.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु 4.950 है० वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला को वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(I)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(II)	जिला	उत्तरकाशी
(III)	वन प्रभाग	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला
(IV)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है० में	4.950 है०
(V)	वन की कानूनी स्थिति	शून्य है० आरक्षित वन भूमि 4.950 है०
(VI)	हरियाली का घनत्वा	0.2
(VII)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-2मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर, विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 194 वृक्ष वाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(VIII)	भूक्षरण के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	इस बावत भू-वैज्ञानिक की दिनांक 18.02.2015 की भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(IX)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल किसी भी आरक्षित वन भूमि की सीमान्तर्गत नहीं है।
(X)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(XI)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	नहीं।
(XII)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो मो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहा है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(I)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(II)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार।
(III)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कर्मान्वयन एजेंसी समय	प्रजातियां-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी- स्वयं वन

	अनुसूची लागत ढाचा आदि।	विभाग। समय-उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होन पर लागत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 464790.20 (चार लाख चौसठ हजार सात सौ नब्बे दशमलव दो जीरो।)परियोजना स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(IV)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु0 464790.20 तथा परियोजना स्थल के आस पास उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन रु0 1390158.00 संलग्न है।
(V)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वनद अधिकारी, फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव पर संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला उत्तरकाशी
(I)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र-	है0 टौन्स वन प्रभाग, पुरोला
(II)	जिले का वन क्षेत्र-	है0 टौन्स वन प्रभाग, पुरोला
(III)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र-506	कुल मामलों की संख्या 52 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र है0 है।
(IV)	1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेत्तर भूमि पर-	क-है0 ख- रिक्त
(V)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर -1504.7 (ख) वनेत्तर भूमि पर-213.2	(क) है0 (ख) रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

स्थान- पुरोला